| State/UT | PC Habs | FC Habs |
|---|---|---|
| Punjab | 3123 | 4326 |
| Rajasthan | 41341 | 55648 |
| Sikkim | 862 | 817 |
| Tamil Nadu | 24945 | 41686 |
| Tripura | 2102 | 4422 |
| Uttar Pradesh | 27012 | 247245 |
| West Bengal | 26109 | 54268 |
| A&N Islands | 21 | 472 |
| Chandigarh | 0 | 24 |
| D&N Haveli | 216 | 172 |
| Daman & Diu | 1 | 28 |
| Delhi | 62 | 138 |
| Lakshadweep | 10 | 0 |
| Pondicherry | 0 | 276 |
| TOTAL | 313473 | 1060921 |

PC Habs.—Partially Covered Habitations.

FC Habs.—Fully Covered Habitations.

**Statement-II**

*Amounts released to the State under Accelerated Rural Water Supply Programme during the year 1997-98*

| State/UT | Amount (Rs. in lakhs) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | 8806.78 |
| Arunachal Pradesh | 2476.00 |
| Assam | 2376.52 |
| Bihar | 0.00 |
| Goa | 196.50 |
| Gujarat | 5886.62 |
| Haryana | 3259.16 |
| Himachal Pradesh | 1708.97 |
| J&K | 4694.00 |
| Karnataka | 9937.70 |
| Kerala | 3564.65 |
| Madhya Pradesh | 8345.68 |
| Maharashtra | 12087.19 |
| Manipur | 907.00 |
| Meghalaya | 743.20 |
| Mizoram | 583.63 |
| Nagaland | 211.00 |
| Orissa | 5038.39 |
| Punjab | 1713.99 |
| Rajasthan | 13783.22 |
| Sikkim | 435.60 |
| Tamil Nadu | 5834.38 |
| Tripura | 762.00 |
| Uttar Pradesh | 15182.66 |
| West Bengal | 4411.46 |
| A&N Islands | 0.00 |
| Chandigarh | 0.00 |
| D&N Haveli | 0.00 |
| Daman & Diu | 0.00 |
| Delhi | 0.00 |
| Lakshadweep | 0.00 |
| Pondicherry | 10.00 |
| TOTAL | 112956.30 |

**ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्ति**

440. श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 नवम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार देश में, राज्य-वार, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त में से कितने व्यक्ति आंशिक रूप से और कितने पूरी तरह से बेरोजगार हैं;

(ग) ऐसे लोगों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील):** (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने हाल ही में ग्रामीण बेरोजगार युवाओं

का आकलन 1993-94 में किया था। इस पंचवर्षीय सर्वेक्षण पर आधारित रोजगार तथा बेरोजगार का विवरण नीचे दिया गया है:

| राज्य | बेरोजगार (1993-94 में)* (000 व्यक्ति) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 120 |
| अरूणाचल प्रदेश | 4 |
| असम | 406 |
| बिहार | 446 |
| गोवा | 29 |
| गुजरात | 126 |
| हरियाणा | 57 |
| हिमाचल प्रदेश | 15 |
| जम्मू व कश्मीर | 21 |
| कर्नाटक | 118 |
| केरल | 619 |
| मध्य प्रदेश | 123 |
| महाराष्ट्र | 202 |
| मणिपुर | 6 |
| मेघालय | 2 |
| मिजोरम | 2 |
| नगालैंड | 5 |
| उड़ीसा | 183 |
| पंजाब | 78 |
| राजस्थान | 47 |
| सिक्किम | 1 |
| तमिलनाडु | 269 |
| त्रिपुरा | 20 |
| उत्तर प्रदेश | 318 |
| पश्चिम बंगाल | 351 |
| संघ शासित प्रदेश सहित अखिल भारत | 3575 |

*सामान्य स्थिति के आधार पर

(ख) बेरोजगारी का आकलन रोजगार तथा बेरोजगार पर सर्वेक्षण के दौरान राष्ट्र प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इस सर्वेक्षण में एक व्यक्ति को सक्रियता की स्थिति प्रदान की जाती है जो उसे या तो श्रमशक्ति के तहत अथवा श्रमशक्ति के बाहर के रूप में वर्गीकृत करता है और अगर वह व्यक्ति श्रमशक्ति के अंतर्गत आता है तो उसे रोजगार प्राप्त अथवा बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण गरीबों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इस मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों को मजदूरी रोजगार तथा स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 1996-97 तथा 1997-98 के लिए कवरेज विवरण-I में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## विवरण-I

**भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में निधियों के उपयोग, रोजगार सृजन तथा सहायता प्राप्त परिवारों/सदस्यों की संख्या**

| कार्यक्रम/स्कीम/योजना का नाम | निधियों का उपयोग (करोड़ रुपये में) | | कुल सृजित श्रम दिन (लाख में) | | सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या (लाख में) | | सदस्यों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1996-97 | 1997-98 | 1996-97 | 1997-98 | 1996-97 | 1997-98 | 1996-97 | 1997-98 |
| जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) | 2164 | 2379 | 4006 | 3884 | — | — | — | — |
| सुनिश्चित रोजगार योजना (ई०ए०एस०) | 2160 | 2905 | 4030 | 4713 | — | — | — | — |

| कार्यक्रम/स्कीम/योजना का नाम | निधियों का उपयोग (करोड़ रुपये में) | | कुल सृजित श्रम दिन (लाख में) | | सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या (लाख में) | | सदस्यों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1996-97 | 1997-98 | 1996-97 | 1997-98 | 1996-97 | 1997-98 | 1996-97 | 1997-98 |
| समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई॰आर॰डी॰पी॰) | 1140 | 1110 | — | — | 19 | 17 | — | — |
| ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा) | 03 | 74 | — | — | — | — | 581944 | 460409 |

## गांवों में पेयजल की समस्या

441. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेयजल की समस्या से ग्रस्त गांवों की संख्या का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 तथा 1997-98 के अंत तक ऐसे गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गई थी;

(घ) इस योजना के अंतर्गत लोगों को कितनी अधिकतम और न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ती है; और

(ङ) देश में पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्तिम लक्ष्य और तारीख निर्धारित की गई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील):** (क) और (ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्यों का विषय है। राज्य सरकार राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता मुहैया करा कर राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करता है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1990-91 के अंत तक पेयजल की समस्या वाले चयनित गांवों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (**नीचे देखिये**) राज्य सरकारों द्वारा 1991—94 के दौरान कवरेज के लिए ग्रामीण बस्तियों को इकाई मानते हुए ग्रामीण जल आपूर्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण शुरू किया गया था तथा 1996-97 के दौरान पुनः सत्यापित किया गया था और 1.4.1998 तक का विवरण भी संलग्न है। (**नीचे देखिये**)

(ग) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 8वीं योजनावधि के दौरान 3,39,705 गांवों/बस्तियों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं।

(घ) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों के 1.6 कि॰मी॰ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर की ऊंचाई के भीतर सार्वजनिक जल आपूर्ति स्रोत उपलब्ध कराना होता है।

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई कार्य योजना स्पष्ट करती है कि राजस्थान में कुछेक को छोड़कर देश की सभी ग्रामीण बसावटों को 9वीं योजनावधि के दौरान पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है बशर्ते की निधियों की उपलब्धता हो।